

अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं.14036/531/2013-यू टी पी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक : 27/08/2013

सेवा में

श्री अरुण कुमार,
पुत्र श्री ओमप्रकाश,
ग्राम एवं डाकघर बारोता, तहसील-गोहाना,
जिला-सोनीपत, हरियाणा-131301

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक 14.7.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 12.8.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपकी दिनांक 19.6.2013 की शिकायत का इस अनुभाग में पता नहीं चला है। तथापि, अब आपके आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना मुहैया करवाने के लिए दिल्ली पुलिस को अंतरित किया जा रहा है।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

अवदीया,

१८ ईस. सुधा
(एस. सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-II)

प्रति प्रेषित :

1. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-आर टी आई आवेदन की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न है कि अपेक्षित सूचना आवेदक को सीधे प्रदान की जाए। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।

15/08/2014
2139/2144
4/9.